न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी कमांक 427-तीन/2003 - विरूद्ध आदेश दिनांक 11-3-2003 पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग,भोपाल - प्रकरण कमांक 298/2001-02 अपील

राजकुमार पुत्र परमानन्द
ग्राम चक संतापुर तहसील ग्यारसपुर
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- महिला ग्यारसी वाई पुत्री जगन्नाथ
निवासी ग्राम सोमवारा तहसील नटेरन
जिला विदिशा
2- पर्वत (मृतक) पुत्र खिल्ला
वारिस
(अ) पूरन (ब) तखतसिंह पुत्रगण पर्वत
(स) नर्मदाप्रसाद (क) रबि पुत्रगण पर्वत
(ख) सुश्री रेखा पुत्री पर्वत
निवासीगण ग्राम गुलाबगंज जिला विदिशा
3- खुमान पुत्र खिल्ला
4- महिला गुलाब वाई 5- महिला गोमतीवाई
6- महिला मुन्नीवाई 7- महिला कुसुमवाई
पुत्रियां खिल्ला सभी निवासीगण ग्राम गूलरखेड़ी
तहसील ग्यारसपुर टप्पा गुलावगंज जिला विदिशा
8- प्रहलाद पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम
चक संतापुर तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा -----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री पी.एन.शर्मा)
(अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक श्री ए.के.जायसवाल)
(अनावेदक क्र-2 के वारिसान के अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया)
(अनावेदक क्र-3 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 5-10-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 298/2001-02 अपील में पारित

आदेश दिनांक 11-3-2003 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम गूजरखेड़ी टप्पा तहसील गुलाबगंज स्थित भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 4.096 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) गोरा पुत्र नन्दा के नाम थी। इस खातेदार की मृत्यु उपरांत बसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही प्रारंभ होने पर नायव तहसीलदार गुलाबगंज ने प्रकरण क्रमांक 11/1989-90 अ-6 पंजीबद्ध कर इस्तहार दिनांक 25-6-90 प्रकाशित कराया, जिस पर महिला चिरोंजीवाई ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 10 के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित है इसलिये व्यवहार वाद के निराकरण तक नामान्तरण कार्यवाही रोकी जावे। नायव तहसीलदार टप्पा गुलावगंज ने अंतरिम आदेश दिनांक 17-8-90 से आपत्ति अमान्य की एंव प्रकरण में सुनवाई कर आदेश दिनांक 7-11-92 पारित किया तथा मृतक गोरा के स्थान पर खुमान पुत्र खिल्ला का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 77/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-3-2002 से महिला ग्यारसीवाई की अपील स्वीकार की गई एंव मृतक गोरा की पुत्री चिरोंजीवाई एंव खिल्ला पुत्र का समान भाग पर नामान्तरण स्वीकार किया गया , यह भी निर्णीत किया कि प्रकरण में राजकुमार एंव प्रहलाद पक्षकार नहीं है क्योंकि अपील प्रकरण के प्रचलित रहते उन्होंने खुमान से भूमि क्रय की है इसलिये उन पर विवन्धन का सिंद्वांत लागू है। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक

298/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-2003 अपील अमान्य की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 3 से 8 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि गोरा पुत्र नन्दा के नाम की वादग्रस्त भूमि पर गोरा की मृत्यु के वाद ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 23 पर आदेश दिनांक 28-9-88 से उसके उत्तराधिकारी खिल्ला एंव चिरोंजीवाई का नामान्तरण हुआ, जिसके विरूद्व अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर विदिशा ने प्रकरण क्रमांक 127/88-89 में पारित आदेश दिनांक 8-1-90 से नामांत्रण आदेश दिनांक 28-9-88 निरस्त किया है एंव प्रकरण तहसील न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। तहसील न्यायालय में महिला चिरोंजीवाई एंव खिल्ला के बीच विवाद विचाराधीन रहा है तथा खुमान पुत्र खिल्ला व्दारा बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की गई वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद भी चला है एंव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 विदिशा के प्रकरण क्रमांक 92-ए/1993 में पारित आदेश दिनांक 6-8-1993 तथा जिला एंव सत्र न्यायाधीश के प्रकरण क्रमांक 69/96 में पारित आदेश दिनांक 4-11-1996 से खुमान पुत्र खिल्ला की बसीयत के आधार पर नामान्तरण मांग

अस्वीकार की गई एंव मृतक गोरा की भूमि पर खुमान का स्वत्व नहीं होना माना गया। ऐसी स्थिति में खुमान पुत्र खिल्ला अनावेदक क्रमांक-3 को वादग्रस्त भूमि में नामान्तरण कराने की पात्रता नहीं है, जिसके कारण इस पक्षकार के हक में बसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में हुई नामान्तरण कार्यवाही शून्यवत् है। इसी पक्षकार व्दारा बसीयत के आधार पर नामान्तरण कराकर वादग्रस्त भूमि राजकुमार को विक्रय की गई है जिसके कारण राजकुमार क्रेता को विक्रय पत्र के आधार पर कोई स्वत्व एंव स्वामित्व व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 विदिशा के प्रकरण क्रमांक 92-ए/1993 में पारित आदेश दिनांक 6-8-1993 तथा जिला एंव सत्र न्यायाधीश के प्रकरण क्रमांक 69/96 में पारित आदेश दिनांक 4-11-1996 के कारण नहीं पहुंचता, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने आवेदक को वादग्रस्त भूमि में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना है।

5/ जहां तक वादग्रस्त भूमि पर मृतक खातेदार के स्थान पर नामान्तरण कार्यवाही का प्रश्न है ? प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक गोरा खातेदार के वारिसान में महिला चिरोंजीवाई एंव पुत्र खिल्ला दो वारिस पुत्री एंव पुत्र हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर ने अपील क्रमांक 77/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 4-03-2002 से अपील स्वीकार कर मृतक गोरा के स्थान पर महिला चिरोंजीवाई के हिस्से पर प्राप्त भूमि 2.048 हैक्टर पर नामान्तरण किये जाने के आदेश देने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग भोपाल ने प्रकरण क्रमांक 298/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-2003 से अनुविभागीय अधिकारी

के आदेश दिनांक 4-3-2002 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल एंव होसंगावाद संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 298/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-3-2003 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः ~~अपील~~ निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर